

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022

विवरणिका

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना।	3-4
2.	कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम।	5-6
3.	नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम।	6-7
4.	प्रोत्साहन।	8-9
5.	नोडल एजेन्सी।	9
6.	नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया।	9-13
7.	भूमि का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी अनुमतियाँ।	13
8.	अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास	13-15
9.	बायोडीजल एवं बायोएथेनॉल।	15-16
10.	प्रकीर्ण।	16



1. प्रस्तावना:

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उद्यमों को पूंजीगत उपादान, राज्य जीएसटी की 10 वर्षों तक शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा इन उद्यमों की स्थापना हेतु भूमि कय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी थी। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक विभिन्न जैव ऊर्जा उत्पादों व तकनीकों से संबंधित 14 परियोजनाओं को स्वीकृति पत्र निर्गत किये गये हैं।

वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट तथा भूमि की उत्पादकता में क्षति की समस्या के समाधान हेतु और भी प्रभावी ढंग से कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु भी जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना से विशेष बल मिलेगा। इसी प्रकार प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मंडियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रचुर सम्भावनाओं को फलीभूत करने हेतु भी वर्तमान नीतिगत संरचना में परिमार्जन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

1.1 इस नीति का नाम **“उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022”** है।

1.2 इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी निवेशकों/विकासकर्ताओं को आकर्षित कर उनके माध्यम से जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना निर्माण, संचालन एवं स्वामित्व आधार पर कराई जायेगी।

1.3 इस नीति की कालावधि अधिसूचना के दिनांक से पाँच वर्ष तक के लिए होगी तथा इसके अन्तर्गत पंजीकृत तथा कमिशन होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों को नीति के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ तथा सुविधायें परियोजनाओं के सम्पूर्ण जीवन काल तक प्राप्त होंगी। नई नीति की अधिसूचना की तिथि से पूर्ववर्ती राज्य जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम-2018 तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 समाप्त

समझी जायेगी। पूर्व में निर्गत जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 के अन्तर्गत जिन इकाइयों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा चुका है, को उक्त स्वीकृति पत्रों में वर्णित लाभ नियत शर्तों के अधीन प्राप्त होते रहेंगे।

- 1.4** इस नीति के अन्तर्गत मात्र नये प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की दशा में तथा पुरानी यूनिट के विस्तार में नये प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की दशा में ही लाभ तथा सुविधाएं अनुमन्य होंगी।
- 1.5** इस नीति के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु लागू नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्यमों को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने तथा उनमें प्रदेश सरकार से वांछित सहयोग तथा भूमिका के निर्वहन हेतु नीतिगत संरचना निर्धारित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सतत् योजनान्तर्गत चयनित लेटर ऑफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) होल्डर्स तथा जैव ऊर्जा से सम्बन्धित अन्य विभिन्न उद्यमों का नियमानुसार एक्प्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट (ईओआई) जारी किया जायेगा। तदोपरान्त डीपीआर आदि उपलब्ध कराने पर पंजीकरण कर नीति के लाभ दिये जायेंगे।
- 1.6** इस नीति का मुख्य बल अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों के माध्यम से बायो सीएनजी तथा बायोकोल आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना है परन्तु अपशिष्ट की उपलब्धता में सीजनल कमी आने अथवा जैव ऊर्जा प्लांट हेतु फीड स्टॉक की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, गैर-खाद्य तिलहन/फसलों जैसे करंज, नीम, एरंड, जैट्रोफा आदि के पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रदेश में जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु अतिरिक्त फीडस्टॉक बनाने के लिए लघु रोटेशन फसल जैसे कि मीठे ज्वार और ऊर्जा घास इत्यादि को बंजर भूमि में लगाया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों तथा ग्राम पंचायतों की बंजर तथा अनुपजाऊ भूमियों पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों अथवा ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से गैर खाद्य तिलहन फसलों, लघु रोटेशन फसलों और ऊर्जा घासों के पौधारोपण तथा उत्पादन एवम् मूल्य श्रृंखला विकास का कार्य किया जायेगा।



2. कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम

2.1 नीति के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं तथा उनके कैचमेंट एरिया/कमांड एरिया में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों (एफपीओ)/सहकारी समितियां/गन्ना समितियों को बायोमास के संग्रहण हेतु रेकर, बेलर तथा ट्रालर पर अपफ्रन्ट सब्सिडी कृषि विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। कृषि एवम् कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी को कृषि विभाग द्वारा नीति के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को प्रदान करने हेतु यथावश्यकता भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की जायेगी। नीति के अन्तर्गत उपादान युक्त उपकरण सीबीजी संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट उपलब्ध कराने हेतु उनके कैचमेंट में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/सहकारी समितियाँ/एग्रीगेटर को प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

2.2 कृषि विभाग द्वारा बायोमास संग्रहण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन, प्रशिक्षण तथा हैण्ड होल्डिंग की जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति हेतु उनके कैचमेंट एरिया में एफपीओ के गठन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के साथ ही उनके तथा एलओआई होल्डर्स के मध्य कृषि अपशिष्ट की दीर्घवाही आपूर्ति संविदा के निष्पादन हेतु फेसिलिटेशन किया जायेगा।

2.3 जनपदों में कृषि अपशिष्ट (पराली) निवेशक को पराली बाजार मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध हो सके इस हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

- | | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 1. | जिलाधिकारी | : अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | : सदस्य |
| 3. | डिप्टी आर.एम.ओ. | : सदस्य |
| 4. | उप कृषि निदेशक | : सदस्य सचिव |
| 5. | जिला पंचायत राज्य अधिकारी | : सदस्य |
| 6. | जिला कृषि अधिकारी | : सदस्य |

- | | | |
|----|----------------------------|---------|
| 7. | परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा | : सदस्य |
| 8. | एफ.पी.ओ. संगठन/एग्रीगेटर | : सदस्य |
| 9. | जैव ऊर्जा उद्यमी | : सदस्य |

- 2.4** बायो सीबीजी संयंत्रों से सह-उत्पाद के रूप में निकलने वाले बायो-मैन्यूर को फर्टीलाइजर कंट्रोल ऑर्डर-1985 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा "फरमंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर" में शामिल किया गया है। कृषि विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जैव ऊर्जा इकाईयों से उत्पादित आर्गेनिक खाद के प्रयोग सम्बन्धी शोध, प्रसार तथा विक्रय, इसके सम्बन्ध में नियत विशिष्टियों एवं मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित तथा लाईसेंस शुदा खाद की दुकानों पर भी इस बायो मैन्यूर का क्रय-विक्रय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- 2.5** निवेशकर्ता उत्पादित सीबीजी का उपयोग स्वयं द्वारा स्थापित सीबीजी पम्प में विक्रय हेतु सभी वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने के उपरान्त कर सकेगा।
- 2.6** निवेशकर्ता को राज्य सरकार द्वारा उत्पादन पर सब्सिडी दी जायेगी। यह सब्सिडी भारत सरकार की अपशिष्ट/बायोमास आधारित जैव ऊर्जा परियोजनाओं में दिये गये लाभ के अतिरिक्त होगा।
- 2.7** कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोकोल परियोजनाओं की स्थापना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के परिसरों में अप्रयोज्य भूमि उपलब्धता एवं वाणिज्यिक नियम तथा शर्तों के आधार पर अथवा उनके सन्निकट कराने, इनकी आपूर्ति/उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ जलाने तथा अन्य उपयोग हेतु निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा भी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार बायोकोल कय किया जायेगा।
- 2.8** उत्तर प्रदेश के प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट (सीबीजी या बायोपेलेट या बायोडीजल) लगाया जायेगा। तहसील को बायो प्लांट हेतु कैचमेण्ट एरिया बनाया गया है।



3. नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम।
- 3.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित उद्यमों को प्रदेश की नगर विकास विभाग द्वारा जारी नीति के अन्तर्गत सुविधाएं अनुमन्य होंगी।
- 3.2 उ०प्र० में सहकारी समिति अधिनियम-1965 में दी गई व्यवस्था तथा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि० की अनुमति से सहकारी क्षेत्र की शुगर मिलों के परिसरों में उपलब्धतानुसार बायो-सीबीजी संयंत्रों की स्थापना की जायेगी तथा चीनी मिलों के सह-उत्पाद यथा प्रेसमड इत्यादि को अन्यत्र उपयोग न करने संबंधी आदेश निर्गत करते हुए इसकी आपूर्ति दीर्घावधि अनुबन्ध के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु की जायेगी, जिनमें फीडस्टॉक की क्रय दर तथा बायो मैन्योर की रिवर्स आपूर्ति हेतु दर चीनी मिलों एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा आपस में तय की जायेगी। सीबीजी प्लांटों के सह-उत्पाद बायो-मैन्योर का वितरण चीनी मिल क्षेत्र में कृषकों को किया जायेगा।
- 3.3 उ०प्र० सरकार के अधीन पशुपालन विभाग द्वारा राजकीय पशु आश्रय स्थलों में उपलब्ध भूमि तथा गोबर की उपलब्धता हेतु दीर्घावधि संविदा के संपादन द्वारा सतत् योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स के माध्यम से सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में सहयोग किया जायेगा। निजी गौशालाओं से गोबर के एकत्रीकरण, संग्रहण तथा उसका मूल्य निर्धारित करते हुए सीबीजी संयंत्रों तक उनकी आपूर्ति हेतु मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा।
- 3.4 राज्य कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट के संग्रहण तथा सीबीजी संयंत्रों तक उनकी डिलिवरी हेतु भी मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा। इसके लिए कृषि मण्डियों और सीबीजी संयंत्रों निवेशकों के बीच दीर्घावधि फीडस्टॉक डिलिवरी संविदा संपादित की जायेगी।
- 

4. प्रोत्साहन

4.1 विद्युत शुल्क में छूट

इस नीति के अन्तर्गत स्थापित जैव ऊर्जा उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

4.2 स्टाम्प ड्यूटी की शतप्रतिशत छूट

जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना अथवा फीडस्टॉक संग्रहण एवं भण्डारण हेतु निजी काश्तकारों से भूमि क्रय अथवा लीज के माध्यम से अर्जित किये जाने की दशा में किराये नामे/लीज/विक्रय विलेख पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

4.3 जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्ज से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

4.4 उपादान

(अ) इस नीति के अंतर्गत परिभाषित एग्रीगेटर को केन्द्र सरकार के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत संयंत्रों पर दी जा रही अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम रु0 20 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा बेलर, रेकर एवं ट्राली उपकरणों पर यूपीनेडा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब) इसके अतिरिक्त जैव ऊर्जा उद्यम इकाईयों को भारत सरकार की नीति/योजना के अतिरिक्त, उत्पादन क्षमता पर अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर रु0 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ तक, बायोकोल उत्पादन पर रु0 75,000/- प्रति टन की दर से अधिकतम रु0 20 करोड़ तक, बायो डीजल के उत्पादन पर रु0 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम 20 करोड़ दिया जायेगा। इस सब्सिडी का प्रयोग इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी, बुनियादी ढांचा, निर्माण, विद्युत आपूर्ति तथा पारेषण तंत्र संबंधित कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें प्रशासनिक भवन एवं भूमि की लागत सम्मिलित नहीं होगी।

(स) इकाई को उपादान की देयता के विनिश्चय से पूर्व परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण विषय विशेषज्ञों की टीम से कराया जायेगा।

पूँजीगत उपादान की धनराशि संबंधित इकाई के पूर्ण क्षमता पर वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के उपरांत बैंक लोन एकाउण्ट में निर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त अगर इकाई के निवेशक द्वारा कोई भी बैंक लोन नहीं लिया जाता है, तो पूँजीगत उपादान की धनराशि इकाई के बैंक एकाउण्ट में निर्गत की जायेगी। उपादान की स्वीकृति तथा परियोजना की पूर्णता की तिथि में समय विस्तार को अनुमन्य किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सक्षम अधिकारी होंगे।

- 4.5 यदि किसी उद्यमी द्वारा बायोप्लान्ट में 50 करोड या उससे अधिक का निवेश किया जाता है तो उसे इकाई से अधिकतम 05 किमी० तक एप्रोच रोड की सुविधा मुख्य मार्ग तक दी जायेगी।

5. नोडल एजेन्सी:

इस नीति के अन्तर्गत जैव ऊर्जा इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी होगी। नोडल एजेन्सी द्वारा निवेशकों/विकासकर्ताओं का पंजीकरण, उनकी जिज्ञासाओं तथा समस्याओं का समाधान एवं विभिन्न विभागों में इन इकाईयों के लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया

- 6.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सतत् योजनान्तर्गत पूर्व से जिन विकासकर्ताओं को एलओआई निर्गत हो चुका है तथा अन्य जैव ऊर्जा की इकाईयों का पंजीकरण वर्तमान नीति के अन्तर्गत किया जायेगा।

- 6.2 यूपीनेडा द्वारा सम्बन्धित विभागों यथा—कृषि, पशुपालन, नगर विकास, कृषि विपणन विभाग से सूचना प्राप्त कर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अति शेष बायोमास की उपलब्धता के आधार पर जिलेवार/तहसीलवार जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अधिसूचित की जायेगी। नये सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट के आधार पर समय-समय पर जिलेवार तथा तहसीलवार अतिशेष बायोमास की उपलब्धता एवं तदनुसार बायोमास अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में संशोधन किया जा सकेगा।

6.3 तहसील में अपशिष्ट बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु उस तहसील की अधिसूचित अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के अधिकतम 40 प्रतिशत तक की सीमा तक एक बायो प्लांट, सम्पूर्ण क्षमता का, पंजीकरण किया जा सकेगा ताकि जैव ऊर्जा के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रयोगों हेतु भी बायोमास स्थानीय समुदाय को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। जिलाधिकारी की समिति की संस्तुति के आधार पर क्षेत्र का सम्बद्धीकरण घटाने अथवा बढ़ाने का कार्य एवं क्षमता का आंकलन कर पंजीकरण यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा।

6.4 तहसील के अन्दर परियोजना के वास्तविक स्थल चयन हेतु विकासकर्ता को स्वतंत्रता रहेगी। परियोजना की क्षमता तथा बायोमास की आवश्यकता एवं आच्छादन क्षेत्रफल के अनुसार तहसील में अन्य किसी जैव ऊर्जा परियोजना का पंजीकरण नहीं किया जायेगा ताकि उक्त प्लांट के संचालन हेतु पर्याप्त बायोमास की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा परियोजनाओं के बीच आपस में बायोमास आपूर्ति हेतु अवांछित टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कुप्रभावित न हो। प्लांट की क्षमता तथा बायोमास की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी दायरे की सीमा को बढ़ा सकेंगे। तहसील में उपलब्ध अपशिष्ट का उपयोग सम्बन्धित तहसील में किया जायेगा। यदि कोई बड़ी क्षमता का प्लांट लगाता है तो दो तहसीलों को भी एक कैचमेण्ट एरिया जिलाधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है।

6.5 विकासकर्ता (डेवलपर/प्रमोटर) को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों/विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

6.6 इस नीति के अन्तर्गत अपशिष्ट/बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा यूपीनेडा में ईओआई हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जायेगा:-

(1) विहित प्रारूप में आवेदन।



- (2) कम्पनी के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/पंजीकृत सोसाईटी की उपविधियों की प्रमाणित प्रति।
- (3) भागीदारी-विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, (यदि लागू हों)।
- (4) विगत तीन वर्षों के लेखे (बैलेन्स शीट) की प्रति। स्टार्टअप के केस में प्रमोटर कम्पनी/मदर कम्पनी की बैलेन्सशीट।
- (5) पूर्व साध्यता (प्री-फीजिबिलिटी) प्रतिवेदन।
- (6) पंजीकरण शुल्क रुपये दस हजार प्रति इकाई मूल्य का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट। यह पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

6.7 विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा (तीन माह) में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे:-

- (1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- (2) बायोमास एसेसमेन्ट रिपोर्ट।
- (3) भूमि सम्बन्धी दस्तावेज (परियोजना हेतु चिह्नित स्थल)।
- (4) सी0पी0एम0/पर्ट चार्ट (प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु)।
- (5) परियोजना स्थल पर पानी की उपलब्धता के आधार पर जल आवंटन आदेश।
- (6) परियोजना का शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

6.8 विकासकर्ता द्वारा कुल आवेदित स्थलों के सापेक्ष प्रति स्थल नेटवर्थ के आधार पर क्षेत्र सम्बद्ध करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत बायो प्लॉण्टों हेतु जमा की गई डी0पी0आर0 के आधार पर 03 प्रतिशत परफार्मेंस गारण्टी प्राप्त कर इम्प्लीमेंटेशन अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित समय सीमा इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेण्ट से 02 वर्ष होगी।

6.9 समयावृद्धि

इस नीति के प्रस्तर 6.7 में उल्लिखित अनुसार, यदि अपेक्षित गतिविधियों को पूरा करने में विलम्ब होता है और यह विलम्ब विकासकर्ता के नियंत्रण से परे हो तो समाधान कर लेने के पश्चात् (प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार) 2-2 मास के दो खण्डों में समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।

6.10 विकासकर्ता द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के यूपीनेडा स्तर पर परीक्षणोपरांत, संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को स्वीकृति पत्र अपर मुख्य

सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जायेगा:-

1. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग — अध्यक्ष
 2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि — सदस्य
 3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि — सदस्य
 4. अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि — सदस्य
 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि — सदस्य
 6. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि — सदस्य
 7. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि — सदस्य
 8. केन्द्र/राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ (यूपीनेडा द्वारा नामित) — सदस्य
 9. निदेशक, यूपीनेडा — सदस्य सचिव
- अभिलेखों के परीक्षण हेतु यथावश्यकता विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी।

उक्त स्वीकृति पत्र के आधार पर विकासकर्ता को नीति के प्रस्तर 6.3 तथा 6.4 में वर्णित क्षेत्र सम्बद्धीकरण का लाभ तथा संबंधित संस्था से फीडस्टॉक आपूर्ति संबंधी दीर्घावधि अनुबंध के निष्पादन हेतु सुविधा तथा कैचमेंट एरिया में सक्रिय एफपीओ/ग्रामीण उद्यमियों इत्यादि को अनुदान प्राप्त कृषि उपकरणों का लाभ सम्बंधी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे परन्तु स्वीकृति पत्र में वर्णित शिड्यूल कमिशनिंग तिथि तक सयंत्रों के कमीशन न होने की स्थिति में उक्त स्वीकृति को निरस्त मानते हुए अन्य विकासकर्ता के पक्ष में उक्त स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी लाभ, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं स्थानान्तरित की जा सकेंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह समिति निम्न अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेगी:-

- 1- इस नीति के तहत अधिक से अधिक निवेश प्राप्त हो।
- 2- ऐसे निवेशकों, जिनको स्वीकृति दे दी गयी है, उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा उनके क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसका निराकरण।



- 3— इस नीति में यदि कोई व्यवहारिक समस्या संज्ञान में आती है तो उसमें संशोधन के लिए संस्तुतियां प्रदान करना।

7. भूमि का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी अनुमतियाँ

- 7.1** उ०प्र० में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 एकड़ भूमि 10 टन क्षमता के सीबीजी प्लॉन्ट के लिए तथा भण्डारण हेतु 25 एकड़ भूमि विभिन्न स्थलों पर आवश्यक होती हैं। 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के बायो-कोल प्लॉन्ट हेतु 02 एकड़ भूमि तथा 100 कि०ली० बायो-डीजल/बायो-एथेनॉल प्लॉन्ट के लिए 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। तदनुसार ही भूमि संबंधित अनुमतियाँ यथा लैंड सीलिंग से छूट इत्यादि प्रदान करने हेतु विकासकर्ताओं के आवेदनों पर कार्यवाही की जायेगी।
- 7.2** जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि को लैंड सीलिंग से डीमड छूट व कृषि से गैर-कृषि डीमड कन्वर्जन की व्यवस्था अनुमन्य होगी।
- 7.3** (क) राजस्व विभाग द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु अधिकतम 30 वर्षों की लीज अवधि हेतु भूमि एक रुपये प्रति एकड़ वार्षिक के टोकन लीज रेंट पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह लीज नान-ट्रांसफरेबल होगी।
- (ख) नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा संयंत्रों को भूमि प्रदेश के नगरीय विकास विभाग की नीति के अन्तर्गत सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

8. अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास

- 8.1** जैव ऊर्जा उद्यमों में अपशिष्ट आपूर्ति सुनिश्चित कराना एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु नीति में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का विकास किया गया है। इसके अन्तर्गत एग्रीगेटर माडल का विकास हुआ है। इस मॉडल के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उद्यमी, अपशिष्ट एग्रीगेटर एवं किसान के बीच दीर्घकालीन अनुबन्ध स्थापित किया जायेगा। इस हेतु यूपीनेडा द्वारा एक आईटी आधारित एक पोर्टल एवं मोबाईल ऐप का विकास किया जायेगा इसके माध्यम से एग्रीगेटर, किसान एवं विकासकर्ता को एक प्लेटफार्म पर लाया जायेगा। कोई भी एफपीओ,

को-आपरेटिव सोसाईटी एवं गन्ना समिति द्वारा एग्रीगेटर का कार्य किया जा सकता है। इस एग्रीगेटर को उपरोक्त लिखे प्लेटफार्म पर रजिस्टर करना होगा। जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर एक तहसील के अन्तर्गत एक या एक से अधिक एग्रीगेटर को पंजीकृत किया जा सकता है। जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एग्रीगेटर की संख्या आवश्यकता के अनुरूप सीमित रहे। यूपीनेडा द्वारा पंजीकृत एग्रीगेटर को मशीनरी हेतु सब्सिडी दिया जायेगा। सब्सिडी का दर भारत सरकार द्वारा दिये गये सब्सिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अतिरिक्त 30 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 20 लाख की सीमा तक दिया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के विकास हेतु निम्नलिखित दायित्व होंगे:-

- 1- कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति श्रृंखला हेतु किसानों, एग्रीगेटर एवं उद्यमी के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- 2- सम्पूर्ण जिले में कृषि अपशिष्ट की उचित दर का आपसी सहमति के आधार पर निर्धारण करना। जिले में कृषि अपशिष्ट का एक ही मूल्य किसानों की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।
- 3- एग्रीगेटर को कृषि अपशिष्ट के ट्रांसपोर्ट हेतु रेग्युलेटरी सहयोग प्रदान करना।
- 4- जैविक खाद के मार्केटिंग हेतु उद्यमी का कृषि विभाग, उद्यान विभाग, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- 5- उद्यमी को समस्त रेगुलेटरी क्लीयरेंस के लिए उत्प्रेरित कराना, जैसे अग्निशमन, लैण्ड सीलिंग, कृषक से अकृषक भूमि कन्वर्जन, सरकारी भूमि की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, पारेषण तन्त्र, विकास प्राधिकरण के डेवलपमेन्ट चार्जेज का वेवर इत्यादि।
- 6- प्रत्येक एग्रीगेटर द्वारा कमाण्ड एरिया का अनुपालन सुश्चित कराना।
- 7- किसानों के भुगतान की समीक्षा।
- 8- जैविक खाद, कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो-पेलेट्स हेतु जारी अनुबन्ध का फौसीलिटेशन।

- 9- एक तहसील में एक से अधिक एग्रीगेटर होने की दशा में आवश्यकतानुसार एक से अधिक एग्रीगेटर को कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु संस्तुति यूपीनेडा को कर सकती है।

एग्रीगेटर द्वारा न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार एक रूट चार्ट बनाया जायेगा जिससे किसानों से प्राप्त कृषि अपशिष्ट को सुगमता से प्लांट तक परिवहन किया जा सकेगा। एग्रीगेटर द्वारा किसानों का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जायेगा एवं उद्यमी द्वारा एग्रीगेटर का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जायेगा।

उत्पादित बायोकोल की आपूर्ति उद्यमी द्वारा तापीय विद्युत परियोजनाओं को किया जायेगा। इस हेतु उद्यमी द्वारा तापीय विद्युत परियोजनाओं के साथ अनुबन्ध किया जायेगा।

9. बायोडीजल एवं बायोएथेनॉल

- 9.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.4.2019 के अन्तर्गत उ0प्र0 में परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में जैव डीजल (बी-100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने व निरीक्षण इत्यादि के संबन्ध में कार्य प्रक्रिया नियत करने की कार्यवाही की जायेगी।

- 9.2 बायो डीजल तथा बायोमास/कृषि अपशिष्ट आधारित बायो एथेनाल का कय-विकय तेल विपणन कम्पनियों/बी0आई0एस0 मानकों के अनुसार किया जाएगा।

- 9.3 भारत सरकार की अद्यतन जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रदेश में बायो डीजल तथा बायोमास/कृषि अपशिष्ट आधारित बायो एथेनाल उत्पादन इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु अनुमन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा उपादान उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में इन इकाईयों को फीडरस्टॉक उपलब्ध कराने हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनीज/सरकारी समितियों के माध्यम से अखाद्य तिलहन पौधों/पेड़ों/ऊर्जा घास के रोपण तथा इस उद्देश्य हेतु खाली पड़ी

ग्राम पंचायत/राजकीय भूमियों के आवंटन, प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जायेगा।

10. प्रकीर्ण

- 10.1** इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों द्वारा संबंधित पर्यावरणीय अधिनियमों, विनियमों तथा आदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- 10.2** अनुश्रवण, समीक्षा, अन्तर्विभागीय समन्वय, कठिनाईयों के निराकरण तथा नीति के सुचारु क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जायेगी।
- 10.3** इस नीति के अन्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकों पर ही सुविधाएँ और प्रोत्साहन देय होंगे तथा अपशिष्ट/बायोमास में जीवाश्म आधारित ईंधन का मिश्रण अनुमन्य नहीं होगा।
- 10.4** उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सहयोग हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन तथा संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य सरकार के बजट के माध्यम से की जायेगी।
- 10.5** प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जैव ऊर्जा नीति का व्यापक प्रचार प्रसार कर उद्यमियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रति जनपद रु. 1.0 लाख की दर से बजटीय व्यवस्था की जायेगी।



**कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायो एथेनॉल एवं बायो डीजल प्लांट्स हेतु
राज्य वित्तीय सहायता का विवरण**

अ. कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स

नीति की कालावधि में लक्षित क्षमता — 1000 टन सीबीजी प्रतिदिन
 वित्तीय उपाशय — ₹0 750 करोड़

वर्ष	लक्षित क्षमता (टन प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022-23	100	75
2023-24	250	187.5
2024-25	500	375
2025-26	750	562.5
2026-27	1000	750

ब. बायोकोल प्लांट्स

नीति के कालावधि में लक्षित क्षमता — 4000 टन बायोकोल प्रतिदिन
 वित्तीय उपाशय — ₹0 30 करोड़

वर्ष	लक्षित क्षमता (टन प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022-23	300	2.25
2023-24	800	6
2024-25	1800	13.5
2025-26	2900	22
2026-27	4000	30

स. बायो एथेनॉल एवं बायो डीजल प्लांट्स

नीति के कालावधि लक्षित क्षमता — 2000 किलोलीटर प्रतिदिन।
 वित्तीय उपाशय — ₹0 60 करोड़

वर्ष	लक्षित क्षमता (किलोलीटर प्रतिदिन)	वित्तीय उपाशय (करोड़ में)
2022-23	200	6
2023-24	500	15
2024-25	900	27
2025-26	1450	43.5
2026-27	2000	60

**द. बायोमास के संग्रहण हेतु रेकर, बेलर तथा ट्रालर पर
अतिरिक्त अनुदान**

• फार्म मशीनरी एक्वूपमेंट यूनिट की संख्या — 500

• वित्तीय उपाशय — ₹0 100 करोड़

य. 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं हेतु एग्रोच रोड का निर्माण

• वित्तीय उपाशय (200 किमी०) — ₹0 100 करोड़

र. नीति का प्रचार प्रसार

वित्तीय उपाशय (प्रति जनपद ₹0 1.0 लाख) — ₹0 0.75 करोड़